भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3396

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पहल

3396. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाढ़ प्रवण शहरों में वर्षा जल निकासी में सुधार और लचीलापन योजना सहित शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी अवसंरचना में जलवायु अनुकूलता को शामिल करने के लिए नगर निगमों को क्या तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) महानगरों और टियर-।। शहरों, विशेषकर महाराष्ट्र में, बाढ़ उपशमन कार्यों के लिए किए गए वित्तीय आवंटनों और परियोजना अनुमोदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच कोई समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी लाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करने के संबंध में कोई प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओयूएचए) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)

ii. शहरी बाढ़ की समस्या के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf)

iii. प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास में शहरों को सक्षम बनाने के लिए नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश 2021 ।

(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शन दस्तावेज (https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf)

बहुत।

v. तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली पर मैनुअल (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems--2019.php)

vi. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी शहरी बाढ़ के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में शुरू किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी का एक घटक है, जिसमें बाढ़ की समस्या को कम करने और समाप्त करने के लिए नालियों/वर्षा जल नालियों का निर्माण और सुधार करना और हरित स्थान और पार्क बनाना शामिल है। अमृत के तहत, 3017.13 करोड़ रुपये की 838 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया था। अमृत पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,448.12 करोड़ रुपये की 820 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,604.13 करोड़ रुपये की 2,522 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 1,579.27 करोड़ रुपये की 2,502 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से अब तक 5,286 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र विकसित किया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों द्वारा हरित स्थानों और पार्कों तथा जलाशयों और कुओं के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत, 6,083.32 करोड़ रुपये की 2,991 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं और 13,893.82 एकड़ में 1,103.71 करोड़ रुपये की 1,665 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को अनुमोदन दे दिया गया है।

इसके अलावा, अमृत और अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल निकासी में सहायता करती हैं। अमृत के तहत, अमृत पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे 22,477 किलोमीटर लंबाई का सीवर नेटवर्क तैयार हुआ है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 34,559 किलोमीटर सीवर नेटवर्क को कवर करते हुए 584 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं।

सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएनएफ) के तहत शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) शुरू किया है। इस पहल में विशेष रूप से सात प्रमुख महानगरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे को लक्षित किया गया है, जिसमें कुल 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुंबई के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महाराष्ट्र में, यूएफआरएमपी ने मुंबई और पुणे के लिए कुल

23 न्यूनीकरण उपायों को अनुमोदन दे दिया है। ये परियोजनाएं राज्य के शहरी क्षेत्र अनुकूलता के लिए एक बड़ा निवेश हैं, जिनका कुल बजट 1,185.93 करोड़ रु. है। दोनों शहरों को इन बाढ़-जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए अपनी पहली किस्त (एनडीएमएफ आवंटन का 30%) प्राप्त हो गई है। महाराष्ट्र के लिए यूएफआरएमपी निधि का ब्यौरा इस प्रकार है

शहर	न्यूनीकरण उपाय	एनडीएमएफ (करोड़ रु.)	राज्य का हिस्सा (करोड़ रु.)	कुल बजट (करोड़ रु.)
मुंबई	**6**	**500**	**207.71**	**707.71**
पुणे	**17**	**250**	**228.22**	**478.22**
कुल	**23**	**750**	**435.93**	**1,185.93**

2,200 करोड़ रु के बजट के साथ यूएफआरएमपी चरण II का उद्देश्य गुवाहाटी, पटना, कानपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और रायपुर जैसे 11 शहरों (टीयर-II शहरों) में प्रत्येक को 222.22 करोड़ रु. आवंटन के साथ [एनडीएमएफ से 200 करोड़ रु. (90%) और राज्य हिस्सेदारी से 22.22 करोड़ (10%)] बाढ़ के जोखिम का न्यूनीकरण करना है, ताकि बाढ़ जोखिम का आंकलन किया जा सके, तत्परता योजनाएँ विकसित की जा सकें, बहु-जोखिम ढांचे स्थापित किए जा सकें और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाया जा सके।

(घ) अमृत/अमृत 20 परियोजनाओं के लिए, इस मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के तहत गठित एक शीर्ष समिति आवधिक अंतराल पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है।

एनडीएमएफ के दिशा-निर्देशों के तहत, एनडीएमए ने संबंधित राज्यों/शहरों से प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए संबंधित एनडीएमए सदस्य की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति का गठन किया है जिसमें एमओयूएचए और एमओजेएस जैसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और आईआईटी, सीडीआरआई, यूएन-हैबिटेट जैसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी शामिल हैं। संबंधित शहर के अधिकारी और संबंधित राज्यों के संबंधित

विभाग सभी मूल पीपीआर की जांच करते हैं और इसे राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के अनुमोदन से एनडीएमए/एमएचए को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बाढ़ क्षति से होने वाली हानियों में कमी लाने और उन्नत आपातकालीन कार्रवाई क्षमता का कोई विशिष्ट प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया है।

*****